न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्याः– 02/2022
दायर दिनांकः– 10.01.2022
निर्णय दिनांकः– 26.04.2022

उनवान

1. धर्मचन्द्र पिता शंकरलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर।

प्रार्थी

बनाम

1. कालु पिता गणेश कुम्हार निवासी भूपालसागर।
2. बंशीलाल पिता नाथूलाल बाफना निवासी भूपालसागर।
3. प्रहलाद पिता बंशीलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर।
4. राधेश्याम पिता बंशीलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर।
5. सत्यनारायण पिता भुरालाल महाजन निवासी भूपालसागर।
6. सुरेश पिता भुरालाल महाजन निवासी भूपालसागर
7. अशोक पिता भुरालाल महाजन निवासी भूपालसागर
8. भैरूलाल पिता हेमराज गाडरी निवासी भूपालसागर
9. चतरभुज पिता मोतीलाल गर्ग निवासी भूपालसागर
10. पारसनाथ भगवान मंदिर भूपालसागर जरिये प्रबंधक।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी सं. 09 उपस्थित एवं शेष अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार–बार आवाजे लगाई गई फिर भी शेष अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण शेष अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा भूपालसागर पटवार हल्का भूपालसागर तहसील भूपालसागर की आ.सं. 2095 रकबा 0.17 है., आं.सं 2097 रकबा 0.28 है., आं.सं. 2098 रकबा 0.60 है., आं.सं. 2099 रकबा 0.20 है., आं.सं. 2499/2095 रकबा 0.10 है किता 5 रकबा 1.35 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की [illegible] व कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट [illegible] प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में [illegible] विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.05.02 10:48:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)